न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 02/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. मोहनलाल पुत्र श्री घेवरराम भार्गव निवासी ग्राम पूनासर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर		1. घनश्याम पुत्र घेवरराम भार्गव निवासी ग्राम पूनासर तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2. ग्राम पंचायत पूनासर जरिये सरपंच तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.03.09 पट्टा नम्बर 32 मिसल संख्या 16/2008-09 पंचायत कोर्ट पूनासर पंचायत समिति ओसियां।

उपस्थिति:-
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र प्रसाद गेवा उपस्थित
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 29.03.2019

प्रार्थी मोहनलाल पुत्र श्री घेवरराम भार्गव जाति भार्गव निवासी ग्राम पूनासर तहसील ओसियां जिला जोधपुर की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत अप्रार्थी घनश्याम पुत्र घेवरराम भार्गव जाति भार्गव निवासी ग्राम पूनासर तहसील ओसिया जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत पूनासर द्वारा दिनांक 20.03.2009 को मिसल संख्या 16/2008-09 को जारी पट्टा संख्या 32 को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किग्राम पंचायत पूनासर द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर दिनांक 20.03.09 को जरिये संकल्प संख्या 2 की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा प्रारुप संख्या 23 (नियम 167(1) देखिये) के तहत भूमि नाप 160x59 फुट कुल क्षैत्रफल 9440 वर्गफुट का ग्राम पूनासर में पूनासर से पाचौडी डामर रोड की मुख्य सडक की भूमि का जारी किया गया जिसको प्राप्त करने का अप्रार्थी संख्या 1 कानूनी तौर पर अकेला हकदार नहीं था। पट्टे में दर्शाई गई भूमि स्व. घेवरराम भार्गव पुत्र चैनाराम भार्गव के कब्जे में होने से प्रार्थी/ निगरानी कर्ता व उसके अन्य भाई अशोक कुमार भैराराम व अप्रार्थी संख्या 1/गैर निगरानी कर्ता के बराबर के हिस्से होने से स्व. घेवरराम के चारों पुत्रो के नाम से उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 को जारी करना था परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने उपरोक्त पट्टा नियम विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के नाम जारी किया गया जिससे व्यथित होकर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत उक्त पट्टा प्रारुप 23 में जारी करना बताया जबकि नियम 153 में उपबंधितानुसार संदाय कर दिए जाने, नियम 154 में उपबंधितानुसार विक्रय की पृष्टि कर दिए जाने और नियम 166 के अधीन अपील, यदि कोई हो, निपटा

दिए जाने, या यदि कोई भी अपील नहीं की गई हो तो उसके लिए विहित समय सीमा के समाप्त हो जाने के पश्चात आबादी भूमि के विक्रय का साक्ष्य देने पर ही प्रारुप 23 में पट्टा विलेख जारी करना चाहिए था जिसकी पालना नहीं करने,ग्राम पंचायत पूनासर द्वारा पट्टा जारी करते वक्त राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के अनुसार आपत्तियां आमंत्रित नहीं करने, प्रारूप 22 में नोटिस जारी नहीं करने तथा कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाने, उक्त पट्टे में दर्शाई भूमि पर प्रार्थी सहित प्रार्थी के चारो भाई अप्रार्थी संख्या 1 घनश्याम, अशोक कुमार व भैराराम, चारो का बराबर-बराबर हिस्सा होने पर भी तत्कालीन सरपंच द्वारा मिलीभगत से अकेले अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने, उक्त भूमि पर प्रार्थी के स्वर्गीय पिता घेवरराम पुत्र चैनाराम के समय से प्रार्थी के परिवार का पुश्तैनी कब्जा होने, उक्त पट्टे में दर्शाई भूमि पर प्रार्थी से बाले-बाले अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी करने,उक्त पट्टा के विक्रय की पुष्टि हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 154(3) के तहत पंचायत समिति से इस विक्रय की स्वीकृति प्राप्त नही करने व पुष्टि नहीं करवाने, विहित प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि के अभाव में जारी किए गए पट्टे विधिवत रुप से कोई मान्यता नही रखने,ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 142 से 156 एवं नियम 156 (क) के प्रावधानो की पालना नहीं करने, ग्राम पंचायत द्वारा नियम 146 के तहत वार्ड पंचो की गठित तीन सदस्य पंचो की कमेटी का गठन नहीं करने, मौके पर किसका कब्जा है, अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कैसे प्रमाणित हो रहा है, कब्जा कब से व किस रुप में हैकी मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाने, नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण नही करवाने तथा नियम 147 के तहत भूमि का विक्रय क्यो नहीं किया जाएयह तय नही करने,नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की कार्यवाही नहीं करने, नियम 151 के तहत बिना निलामी समिति का गठन किए पट्टा जारी किया जाने, राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 नियम 152 से 156 किसी भी प्रावधान की पालना नहीं करने, पंचायत रेकर्ड में उक्त पट्टा संख्या 32, मिसल संख्या 16 वर्ष 2008-09 की रिकार्ड संबंधी मिसल/पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही होने, ग्राम सभा दिनांक 06.06.10 में प्रस्ताव संख्या 11 पारित व लिखित नही होने, ग्राम पंचायत पूनासर के पत्र क्रमांक/एसपीएल 01 दिनांक 20.01.17 में आर.टी.आई. द्वारा चाही सूचना में ग्राम पंचायत में पट्टा बुक व मिसल उपलब्ध नहीं होने,पंचायत रेकर्ड में भी उक्त पट्टे संबंधित प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.06.10 को पारित नही करने,विवादग्रस्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मात्र 260 रुपये में जारी किया गया जिसका सरपंच को कोई अधिकार नही होने, आबादी भूमि में पट्टा जारी करने हेतु बने नियमों की पालना नही करने आदि आधारों पर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत कर उक्त पट्टा संख्या 32 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता निगरानी का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पूनासर का स्थायी निवासी होने से उपरोक्त भूखण्ड पर पिछले 40 वर्षोसे काबिज होने एवं दिनांक 19.02.1980 की बैठक में नियमानुसार फीस देकर स्वीकृत प्लॉट बनाप 25x25गज के भूखण्ड पर बतौर मालिक काबिज है। ग्राम पंचायत पूनासर द्वारा मिसल नम्बर 16/2008-09 पट्टा संख्या 32 दिनांक 20.03.2009 को रसीद संख्या 71 रूपये 260/- लेकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत पूनासर द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख

अप्रार्थी 1 घनश्याम पुत्र स्व. घेवरराम भार्गव के पक्ष में दिनांक 21.06.2010 को उप पंजीयक कार्यालय ओसियां में पंजीबद्ध किया गया। उक्त निगरानी केवल मात्र भूमि हड़पने की नियत मात्र से प्रस्तुत की गई है। उक्त भूमि घेवरराम भार्गव के नाम होती तो उनकी सभी आल-औलाद उक्त भूखण्ड के लिये आवेदन करते जबकि प्रार्थी मोहनलाल का पुत्र नरेश तत्कालीन सरपंच श्रीमती डिम्पल चौधरी के साथ मिलकर भूमि हड़पने की नियत से उक्त भूखण्ड के संबंध में कार्यवाही कर रहा है जो निराधार है। इसके अलावा तत्कालीन सरंपच के लेटर पेड का का गलत उपयोग कर सरपंच के सभी कार्य स्वयं कर रहा है जिससे साफ जाहिर होता है कि पंचायत रिकार्ड पर सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी के पुत्र नरेश भार्गव का है। अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा तत्कालीन सरंपच मूलाराम द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए एवं पंचायत के सभी सदस्यों की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षरयुक्त जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 को जारी पट्टा पंचायत नियम के अनुसार जारी किया गया था। तत्कालीन सरपंच द्वारा राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1996 की धारा 148 के अनुसार कार्यवाही करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया था क्योंकि उक्त भूखण्ड पर एकमात्र कब्जा घनश्याम पुत्र घेवरराम का ही था व आज दिन तक चला आ रहा है। तत्कालीन सरपंच द्वारा एवं सदस्यों द्वारा नियमानुसार मौका रिपोर्ट मंगवाकर एवं उक्त भूखण्ड के संबंध में घोषणा करवाकर एवं गवाहों के रूबरू तथा पंचायत बैठक बुलाकर पट्टा जारी किया गया था। जिसका रिकॉर्ड तत्कालीन सरपंच द्वारा अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर नवनियुक्त सरपंच को सम्पूर्ण रिकॉर्ड एवं पंचायत के समस्त दस्तावेज एवं बुक पत्र सुपुर्द कर दिये गए जिसका कार्यालय रेकर्ड में इन्द्राज है अन्यथा उक्त पट्टा विलेख एवं रेकर्ड ग्राम पंचायत में नहीं होने के संबंध में वर्तमान सरपंच द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाना में दर्ज नहीं करवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूखण्ड के संबंध में 14.06.2010 को निर्माण करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है एवं वर्तमान सरंपच द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन लेते समय दिनांक 30.12.2015 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर उक्त भूखण्ड की ताईद अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर की थी तत्पश्चात् विद्युग विभाग द्वररा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम विद्युत कनेक्शन दिनांक 04.05.2015 को जारी किया गया था। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 से रूपये 260/- लेकर पट्टा जारी किया है जिससे साफ जाहिर होता है कि उक्त पट्टा वास्तव में नियमानुसार जारी हुआ था। प्रार्थी द्वारा उक्तनिगरानी केवल मात्र भूखण्ड पर कब्जा करने नियत से एवं अप्रार्थी को तंग एवं परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के पास उक्त भूखण्ड के संबंध में पुश्तैनी कब्जा होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अन्य वारिसान उक्त भूखण्ड को पुश्तैनी मानते है वास्तव में उक्त भूखण्ड का एक मात्र कब्जा एवं स्वामित्व घनश्याम का ही है इसके अलावा अन्य किसी का भी इस पर स्वामित्व नहीं है। अत: अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत पूनासर द्वारा जारी पट्टा संख्या 32 मिसल संख्या 16 एवं दिनांक 19.02.1980 की बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत पूनासर से मंगवाकर उक्त निगरानी के संबंध में वास्तविक स्थिति की जांच कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी बिना किसी आधार एवं साक्ष्य के अभाव में निराधार होने से खारिज करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी ने निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि 300 वर्गगज से अधिक भूमि के भूखण्ड पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। जिसके सबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किया गये जिसके अनुसार ऐसे परिवार जिनके पास कही भी कोई गृह स्थल नहीं है ओर जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोपड़ी/कच्चे-गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐस परिवार की मुखिया हो। इसके अलावा पट्टा संख्या 32 के संबंध में ग्रामसभा में दिनांक 06.06.2010 को जो प्रस्ताव संख्या 11 के तहत नवीनीकरण किया गया जिसकी पुष्टि करने हेतु मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर को देखने पर पाया कि प्रस्ताव संख्या 11 उस रजिस्टर में दर्ज ही नहीं है। अत: प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी को दिनांक 20.03.2009 को जारी पट्टा संख्या 32 मिसल संख्या 16/2008-09 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसमें बताया कि निगरानी पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 97 के अन्तर्गत पट्टा जारी होने के 8 वर्ष बादयह निगरानी पेश की गयी जो अवधिपार होने से खारिज योग्य है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 97 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी भी आवेदन पर किसी भी समय उपनियम (1) के अधीन किसी भी विनिश्चय या आदेश पारित किये जाने के 90 दिन के भीतर ऐसे आदेश की निगरानी पेश की जा सकती है तथा इस नियम के अन्तर्गत आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर जिला परिषद को अपील पेश किया जाने का नियमों में प्रावधान है किन्तु इस प्रकरण में न तो 30 दिन में अपील पेश की गयी और न ही 90 दिन में निगरानी पेश की गई ऐसी स्थिति में यह निगरानी चलने योग्य नहीं होने खारिज योग्य है। पट्टा 40 वर्ष पुराने कब्जा को आधार पर जारी किया गया है गैर निगरानीकर्ता का विवादित भूमि पर गत 40 वर्षो से कब्जा रहा है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत पूनासर के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 16.06.2010 से होती है। तथा ग्राम पंचायत पूनासर की बैठक दिनांक 19.02.1980 में भी 25x25गज की स्वीकृति दी गई है इससे भी 1980 से कब्जा होना प्रमाणित है। पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों के नियमितिकरण का प्रावधान किया गया है कि 50 वर्ष से अधिक पुराने कब्जे का नियमन 100/- रूपये में एवं 50 वर्ष तक के आवास 200/- रूपये में नियमन करने का प्रावधान है। चूंकि विवादित भूखण्ड पर कब्जा 40 वर्ष पुराना है इस कारण 260/- रूपये में नियमन किया गया है जो सही है। निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कभी कब्जा नहीं रहा और वर्तमान में भी कब्जा नहीं है और न ही निगरानीकर्ता हितबद्ध व्यक्ति होने से निगरानीकर्ता को नियमानुसार उक्त भूखण्ड नियमित नहीं हो सकता। विवादित भूखण्ड निगरानीकर्ता की पूर्वजों की भी सम्पति नहीं है इस कारण भी उसको कोई अधिकार नहीं है। यह भूखण्ड पुराने कब्जे के आधार पर नियमन किया गया है नियम 157 के अनुसार पुराने कब्जे के आधार पर नियमन करने पर भूखण्ड का क्षेत्रफल निर्धारित नहीं है किसी भी क्षेत्रफल का भूखण्ड 200/- रूपये में नियमित किया जा सकता है। नियमों में आवंटन एवं निलामी के लिये क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है परन्तु पुराने भूखण्ड नियमन के लिये कोई क्षेत्रफल सीमा

निर्धारित नहीं है ग्राम पंचायत पूनासर द्वारा दिनांक 20.03.2009 को जो प्रस्ताव संख्या 02 पारित किया गया उसके आधार पर पट्टा जारी किया गया है वह नियमानुसार सही है। अत: लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि म्याद बार होने से निरस्त करने एवं पट्टा नियमानुसार सही होने एवं ग्राम पंचायत पुनासर तहसील ओसियां द्वारा लगभग 50 वर्ष पुराना कब्जा होने से उक्त प्रस्ताव संख्या 02 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 32 दिनांक 20.03.2009 यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी व अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व लिखित बहस पर मनन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत पुनासर के तत्कालीन संरपच द्वारा प्रार्थी को कुल 9440 वर्गफुट अर्थात् 1048.88 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 300 वर्गगज से अधिक भूमि का पट्टा बगैर नीलामी कार्यवाही के जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत पूनासर द्वारा नीलामी एवं बोली की कार्यवाही निष्पादित नहीं की गयी, जिससे कि विक्रय की पुष्टि हो सके। उक्त निगरानीधीन पट्टा में नीलामी के माध्यम से जारी करने का अभाव पाया गया है। यदि आबादी भूमियों के पट्टे को जरिये नीलामी के जारी किया जाता तो निश्चित रूप से राज्यकोष में आय बढती जिसका उपयोग विकास कार्य में किया जा सकता था लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही की जाना नहीं पाया गया है। उक्त निगरानीधीन पट्टा संख्या 32 में ग्रामसभा दिनांक 06.06.2010 के प्रस्ताव संख्या 11 के तहत नवीनीकरण का अंकन किया गया है उसकी पुष्टि करने हेतु ग्राम पंचायत पूनासर के उक्त अवधि के मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया कि दिनांक 06.06.2010 को ग्राम सभा के बैठक कार्यवाही में प्रस्ताव संख्या 10 तक ही अंकित है अर्थात प्रस्ताव संख्या 11 का दिनांक 06.06.2010 के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कही भी अंकन नहीं है। इसके अलावा ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत पूनासर पंचायत समिति बापिणी द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित समस्त रेकर्ड ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया है। ऐसी स्थिति में हम उक्त निगरानीधीन पट्टे को खारिज करना उचित समझते है।

उपरोक्त निष्कर्षोपरान्त ग्राम पंचायत पूनासर द्वारा नियमों से बाहर जाकर, प्रक्रिया की पालना न करते हुए, सीमा से ज्यादा भूमि का पट्टा बगैर नीलामी एवं बोली की कार्यवाही के जारी करने तथा अप्रार्थी को आबादी की बेशकीमती भूमि का बड़े नाप का पट्टा संख्या 32 विधि विरूद्ध ढंग से जारी किया गया है उसे न्यायहित में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत पूनासर पंचायत समिति बापिणी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर